

हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग

संख्या:टी.पी.टी.-बी(2)-4/94-भाग-7 तारीख शिमला-2, 18.7, 2007

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल परिवहन विभाग में मोटर यान निरीक्षक वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग मोटर यान निरीक्षक, वर्ग-III (अराजपत्रित)भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2007 हैं।

(2) ये राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियां। 2(1) अधिसूचना संख्या:टी0पी0टी0बी0(2)-4/94 भाग-7, तारीख 02 मई,1997 द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग मोटर यान निरीक्षक, (वर्ग-III, अराजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

अतिरिक्त मुख्यसचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

पृष्ठांकन सं0: यथोपरि। तारीख शिमला-2, 18 जुलाई, 2007
पृष्ठांकन विभाग स्वयं टंकित करें:-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला-2 ।
3. निदेशक, परिवहन, हिमाचल प्रदेश, शिमला-4 ।
4. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
5. नियन्त्रक, हिमाचल प्रदेश मुद्रण एवं लेखन सामाग्री विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला-5 को प्रति हिमाचल प्रदेश राजपत्रा में प्रकाशन हेतु ।
6. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
7. रक्षक नस्ति-25 प्रतियां

अवर सचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध- “क”

हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में 5480-8925 रुपये के वेतनमान में मोटर यान निरीक्षक वर्ग-III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1.पद का नाम	मोटर यान निरीक्षक
2.पदों की संख्या	11 (ग्यारह)
3.वर्गीकरण	वर्ग-III(अराजपत्रित)
4.वेतनमान रूप।	5480-160-5800-200-7000-220-8100-275- 8925
5.चयन पद अथवा अचयन पद	अचयन।
6.सीधी भर्ती के लिए आयु:	18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधी भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविधा आधार पर नियुक्त किए गए, पहले से सरकार की सेवा में रत व्यक्तियों सहित अभ्यर्थी को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविधा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी, इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविधा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा;

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदर्शों के अधीन अनुज्ञेय है:

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर,निगमों तथा स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर,निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर,निगमों/ स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है । किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर,निगमों तथा स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों/ स्वायत्त निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/ किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर,निगमों/स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों/स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गए थे ।

(i) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद (पदों) को,, आवेदन आमन्त्रित करने के लिए यथास्थिति विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

(ii) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं:

अनिवार्य :

(i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग में उपाधि।

(ii) आटोमोबाइल कार्यशाला में दो वर्ष का अनुभव।

वाँछनीय अर्हता :

1.भारी परिवहन यान चालन के लिए अनुज्ञप्ति।

2. हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. क्या सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति(यों) प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी:

लागू नहीं।

9. परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों)की प्रतिशतता:

शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा या संविदा आधार पर, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के माध्यम से।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा।

लागू नहीं।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना:

लागू नहीं।

13. परिस्थितियां जिनमें हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से भर्ती करने के लिए परामर्श लिया जाना है:

जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवाय अपेक्षा :

किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन:

सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/ पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग/भर्ती प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

15-क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन।

(I) संकल्पना

(क) इस पॉलिसी के अधीन परिवहन विभाग, हिमाचल प्रदेश में मोटर यान निरीक्षक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) विभागाध्यक्ष द्वारा रिक्त पदों का दो अग्रणी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाएगा।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन संविदा पर नियुक्त इस प्रकार चयनित व्यक्ति को, सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) देय उपलब्धियां:

संविदा के आधार पर नियुक्त मोटर यान निरीक्षक को 5480/-रूपए जमा पचास प्रतिशत मंहगाई वेतन की समेकित नियत रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी जो वेतनमान के आरम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी।

(III) नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी

निदेशक, परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया:

(क) संविदा आधार पर नियुक्त व्यक्ति की दशा में चयन मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचन समझा जाए तो लिखित परीक्षा और व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम यथास्थिति, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(ट) संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयन समिति

जैसी सम्बन्धित भर्ती अभिकरण अर्थात् यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड,हमीरपुर द्वारा गठित की जाए।

(VI) करार:

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात्, इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध-ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें:

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 5480/-रूपए जमा पचास प्रतिशत मंहगाई वेतन की दर से नियत संविदात्मक रकम प्रतिमास संदत्त की जाएगी जो वेतनमान के आरम्भिक जमा मंहगाई वेतन के बराबर होगी।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा, पूर्णतय: अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/ आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदा पर नियुक्त किसी भी दशा में पदधारी को सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान करेगी।

(घ) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात्, एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम,1961 के अनुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।

(ड0) नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी। संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि के लिए वेतन का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था महिला अभ्यर्थियों को प्रसव होने तक, उन्हें अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी कि नियमित कर्मचारी को लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार

इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर लगाए गए अभ्यर्थी को किसी भी दशा में विभाग में मोटर यान निरीक्षक के रूप में नियमितिकरण/स्थाईआमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण

सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. शिथिल करने की शक्ति

जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

मोटर यान निरीक्षक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, परिवहन विभाग के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमति..... पुत्र/पुत्री श्री.....
..... निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘प्रथम पक्षकार’ कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, निदेशक, परिवहन, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘द्वितीय पक्षकार’ कहा गया है) के मध्य आज तारीख..... को किया गया।

‘द्वितीय पक्षकार’ ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने मोटर यान निरीक्षक के रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:-

1. यह कि प्रथम पक्षकार के रूप में..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात्..... दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।
2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 5480/- रूपए प्रतिमास होगी।
3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्यपालन/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त पर्यवसित)की जाने के लिए दायी होगी।
4. संविदात्मक नियुक्ति पदधारी को किसी भी दशा में नियमित सेवा के लिए कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।
5. संविदात्मक मोटर यान निरीक्षक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदात्मक मोटर यान निरीक्षक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। नियमानुसार केवल प्रसूति अवकाश दिया जाएगा।
6. नियन्त्रण अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदात्मक मोटर यान निरीक्षक डियूटी (कर्त्तव्य) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम लेने का हकदार नहीं होगा।
7. संविदा के आधार पर नियुक्त मोटर यान निरीक्षक का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण अनुज्ञात किसी भी दशा में नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को **सरकारी/रजिस्ट्रीकृत** चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा **अधिकारी/व्यवसायी** द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।
9. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में उसका दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को लागू है, यात्रा **भत्ते/दैनिक** भत्ते का हकदार होगा/होगी।
10. संविदात्मक नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ-साथ इ0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप **प्रथम पक्षकार** और **द्वितीय पक्षकार** ने साक्षियों की उपस्थिति में मास.... और वर्षमें अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....
.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....
.....

(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षी की उपस्थिति में

1.....

.....
.....

(नाम व पूरा पता)

2.....

.....
.....

(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

(Authoritative English text of this Department notification No.TPT-B(2)4/94-Vol-7 dated 18/07/2007 as required under clause (3)Article –348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Transport.

...

No. TPT-B(2)4/94-Vol. -7 Dated Shimla the 18/07/ 2007.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso to article –309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Motor Vehicle Inspector Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Transport, Himachal Pradesh as per Annexure –‘A’ attached to this notification namely :-

Short title and
Commencement.

1 (i) These rules may be called the Himachal Pradesh
Transport Department, Motor Vehicle Inspector class–III
(Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 2006.

(ii) They shall come into force from the date of
publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

Repeal and Savings.

2(i) The Himachal Pradesh, Transport Department
Motor Vehicle Inspector Class-III (Non Gazetted)
Recruitment and Promotion Rules, 1997, notified vide
notification NO.TPT-B(2)4/94-7 dated 2.05.1997 and as
amended from time to time are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any appointment made, anything
done or any action taken under the rules so repealed under
rule-2(1) supra shall be deemed to have been validly made
done or taken under Rules.

By Order

Principal Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh.

ANNEXURE-“A”

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF MOTOR VEHICLE INSPECTOR, CLASS-III(NON-GAZETTED) IN THE PAY SCALE OF Rs. 5480-8925 IN THE DEPARTMENT OF TRANSPORT, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the post :Motor Vehicle Inspector
2. Number of post(s) :11 (Eleven)
3. Classification :Class-III (Non-Gazetted)
4. Scale of pay :Rs. 5480-160-5800-200-7000-220-8100-275-8925
5. Whether selection post or Non-selection post :Non-Selection
6. Age for direct recruitment :Between 18 years and 45 years.

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he/she was appointed as such he/she shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age-limit by virtue of his/her such adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age-limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporation and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in Public Sector Corporation/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(i) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting application or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

(ii) Age and experience in the case of direct recruitment, relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well-qualified.

Contd./ -2/.

7. Minimum educational other qualifications required for direct recruit(s) and : **ESSENTIAL**
(i) Degree in Automobile Engineering from recognised University.
(ii) 2 years' experience in Automobile Workshop.
DESIRABLE QUALIFICATION
1. Driving Licence for heavy Transport Vehicle
2. Knowledge of customs, manner and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.
8. Whether age & educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s) : Not applicable
9. Period of probation, if any : Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent Authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by Various methods. : 100% by direct recruitment or on contract basis through concerned recruiting agency i.e. H.P.Public Service Commission or H.P. Subordinate Services Selection Board as the case may be.
11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer grade from which promotion/ deputation/transfer is to be made. : Not applicable.
12. If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition? : Not applicable.
13. Circumstances under which the Himachal Pradesh Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. : As required under the law.

Contd. 3/.

14. Essential requirement for a direct recruitment. : A candidate for appointment to any service or post must be a Citizen of India.
15. Selection for appointment to post by direct recruitment. : Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the Commission/other recruiting authority, as the case may be.

15(A) Selection for appointment to the post by contract appointment :

(I) CONCEPT

(a) Under this policy, the Motor Vehicle Inspector in the department of Transport, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year which may be extendable on year to year basis for two more years.

(b) The vacant posts will be advertised by advertising the vacant post by the Head of the Department in two leading News Papers.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these rules.

(d) Contract Appointee so selected under these rules will not have any right to claim regularisation or permanent absorption in the Government job.

(II) EMOLUMENTS PAYABLE :-

The Motor Vehicle Inspector appointed on contract basis will be paid consolidated fixed amount @ 5480 + 50%DP per month which shall equal to initial pay scale plus DP.

Contd. 4/.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY :

Director, Transport, Himachal Pradesh will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS :

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment shall be made on the basis of viva voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting Authority i.e. H.P. Public Service Commission or H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur as the case may be.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENT :

As may be constituted by the Concerned Recruiting Agency i.e. H.P. Public Service Commission or H.P. Subordinate Services Selection Board, Hamirpur as the case may be.

(VI) AGREEMENT :

After selection of a candidate he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS :

- (a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs.5480+50% DP per month which shall be equal to initial of pay scale plus dearness pay.
- (b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

Contd. 5 /.

- (c) Contract appointment shall not confer any right to the incumbent for the regularisation in service at any stage.
- (d) Contractual appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any other kind is admissible to the Contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Maternity Benefit Act, 1961.
- (e) Unauthorized absence from the duties without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contractual appointee shall not be entitled for salary for the period of absence from duty.
- (f) Transfer of contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.
- (g) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidates, pregnant beyond 12 weeks will render her temporarily unfit until the confinement is over. The women candidate will be re-examined for fitness from an authorised Medical Officer/Practitioner.
- (h) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular official.

Contd . 6/.

(VIII) RIGHT TO CLAIM REGULAR APPOINTMENT :

The candidate engaged on contract basis under rules shall have no right to claim for regularisation/permanent absorption as Motor Vehicle Inspector at any stage.

16. Reservation : The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17. Powers to relax. : Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order for reason to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission relax any of the provision(s) of these Rules with respect to any Class or Category of person (s) or post (s).